

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
-:: वादिया:- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

मन्जूश्री चौहान पत्नी कांशीराम
चौहान जाति ढोली निवासी रास
तहसील जैतारण जिला ब्यावर
राजस्थान

1. अरुणादेवी पत्नी पुखिया जाति नट निवासी
रासतहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
2. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

मु0न0 :रा0वा0स0: 108/2025

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....व हाजरी
श्री तुलसाराम माली व श्री गौतम गहलोत, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुब्दई पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस
आशय की सादिर की जाती है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का
राबडियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर मे वादीया
एवं प्रतिवादी की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर
21 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0486
हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल की आई हुई है। का बंटवाडा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप
से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूलत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	मंजूश्री चौहान पत्नी काशीराम चौहान कौम ढोली सा. रास खातेदार	21	0.9065	बा.अ.	0.56
2.	अरुणादेवी पत्नी पुखिया कौम नट सा. रास खातेदार	21/1	0.0809	बा.अ.	0.05
		22	0.0486	बा.अ.	0.03
		कुल - 2	0.1295		0.08

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव
मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी
करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक.....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/04/2026 को जारी
किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुख्यई	रुपये	पैसे	मुख्यायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	3.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।



बहालक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुरा, जिला-जयपुर